डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2025/HQ/Admin/RTI-204 **New Delhi: 25.03.2025**

मौ0 नदीम, पुत्र मौ0 आसिफ
निवासी रेलवे रोड सुभाष चौक
क़स्बा व थाना देवबंद, जिला सहारनपुर
उत्तर प्रदेश-247554
मोबाइल-9923288777

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन दिनांक 22.02.2025 जो इस कार्यालय में दिनांक 25.03.2025 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त सूचना संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण और संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिसका नाम और पता इस प्रकार है;

श्री दरोगा लाल यादव,
महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,
5th मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,
प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्न: 14 पृष्ठ

(एस. के. पण्डा)
अपर महाप्रबंधक /प्रशा. (ज. सू. अ.)
9717636811

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
(A Government of India Enterprises)
Office: 3rd Floor, Shri Bala Complex, (Opp. Subharti University), Ved Vyaspuri, By Pass Road, NH-58, Meerut-250002, Telefax: 121-2439040
डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

No. CGM/MTC/RTI Matters/2024/Vol-X Dated: 24.03.2025

AGM/Admin (CPIO)
DFCCIL, Corporate office,
Noida

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आवेदनकर्ता मौ0 नदीम पुत्र मौ0 आसिफ निवासी रेलवे रोड़ सुभाष चौक, देवबन्द, जिला सहारनपुर का प्रार्थना पत्र दिनांक 22.02.2025 प्राप्ति दिनांक 28.02.2025।

उपरोक्त संदर्भित पत्रों द्वारा जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्नवत सूचना चाही गयी है:–

क्र0 सं0	चाही गयी सूचना	उपलब्ध करायी जा रही सूचना
1	प्रार्थी ने आपको एक प्रार्थना पत्र दिनांक 05.12.2024 को हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने की बाबत दिया था, लेकिन अब तक इस बाबत कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई, इस प्रश्न का उत्तर लिखित में दिया जाना जरूरी है।	आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 05.12.2024 के सम्बन्ध में डीएफसी की ओर से सक्षम प्राधिकारी/वि0भू0अ0अ0(सं0सं0), सहारनपुर को दिनांक 10.03.2025 जवाब दिया जा चुका है।
2	यह कि 08 मार्च 2011 को विशेष परियोजना ईकाई डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर गजट (भारत सरकार राजपत्र) 24/अगस्त–2009 प्रकाशित दिनांक 04.11. 2009 रेलवे अधिनियम 2008 की धारा 20सी(3) की प्रमाणित प्रति चाहिए।	रेलवे अधिनियम 2008 की धारा 20ए की अधिसूचना दिनांक 24 अगस्त–2009 की प्रति संलग्न है।

इसके लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

24/3/2025

जनसूचना अधिकारी,
परियोजना प्रबन्धक/विद्युत
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ।

प्रतिलिपिः– मुख्य महाप्रबन्धक/मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर
डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
(A Government of India Enterprises)
Office: 3rd Floor, Shri Bala Complex, (Opp. Subharti University), Ved Vyaspuri, By Pass Road, NH-58, Meerut-250002, Telefax: 121-2439040

पत्रांक–सी.पी.एम./एम.टी.सी./सी.पी.–303/आर.टी.आई./मु0नगर–सहारनपुर/2020 दि0 21.03.2025

जनसूचना अधिकारी,
परियोजना प्रबन्धक/विद्युत
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ।

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आवेदनकर्ता मौ0 नदीम पुत्र मौ0 आसिफ निवासी रेलवे रोड़ सुभाष चौक, देवबन्द, जिला सहारनपुर का प्रार्थना पत्र दिनांक 22.02.2025 प्राप्ति दिनांक 28.02.2025।

उपरोक्त संदर्भित पत्रों द्वारा जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्नवत सूचना चाही गयी हैः–

क्र0 सं0	चाही गयी सूचना	उपलब्ध करायी जा रही सूचना
1	प्रार्थी ने आपको एक प्रार्थना पत्र दिनांक 05.12.2024 को हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने की बाबत दिया था, लेकिन अब तक इस बाबत कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई, इस प्रश्न का उत्तर लिखित में दिया जाना जरूरी है।	आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 05.12.2024 के सम्बन्ध में डीएफसी की ओर से सक्षम प्राधिकारी/वि0भू0अ0अ0(सं0सं0), सहारनपुर को दिनांक 10.03.2025 जवाब दिया जा चुका है।
2	यह कि 08 मार्च 2011 को विशेष परियोजना ईकाई डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर गजट (भारत सरकार राजपत्र) 24/अगस्त–2009 प्रकाशित दिनांक 04.11. 2009 रेलवे अधिनियम 2008 की धारा 20सी(3) की प्रमाणित प्रति चाहिए।	रेलवे अधिनियम 2008 की धारा 20ए की अधिसूचना दिनांक 24 अगस्त–2009 की प्रति संलग्न है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

21.03.25

for उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ।

प्रतिलिपिः– मुख्य महाप्रबन्धक/मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेषन ऑफ इण्डिया लि०
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

पत्रांकः- एम.टी.सी/ई.एन./भूमि अधिग्रहण/पब्लिक ग्रिवांस/भाग-3 **दिनांक-** 10.03.2025

सक्षम प्राधिकारी,
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0स0)/
अपर जिलाधिकारी,
सहारनपुर।

विषयः- माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निर्णित सिविल मिस रिट पिटीशन संख्या-31679/2024 नदीम पुत्र मौ0 आशिफ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व 02 अन्य में आदेश दिनांक 27.09.2024 के क्रम में डी०एफ०सी० परियोजना हेतु अर्जित भूमि के भू-स्वामियों को आर०एण्ड आर० के तहत दी जाने वाली धनराशि के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः- 1. रेल मंत्रालय / रेलवे बोर्ड के पत्र सं०- INFRA/3/1/10 Pt-1 dated- 18.01.2011
2. रेल मंत्रालय / रेलवे बोर्ड के पत्र सं०- INFRA/3/1/10 Pt-2 dated- 23.05.2015
3. आपके कार्यालय का पत्रांक संख्याः-9230/आठ-वि0भू0(अ0अ0)(सं0सं0)/सहारनपुर/दिनांक 24.02.2023
4. डी.एफ.सी कार्यालय का पत्रांक: एम.टी.सी/ई.एन./भूमि अधिग्रहण/पब्लिक ग्रिवांस दिनांक- 06.04.2023
5. सिविल मिस रिट पिटीशन संख्या-31679/2024 नदीम पुत्र मौ0 आशिफ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व 02 अन्य में आदेश दिनांक 27.09.2024 के क्रम में आख्या के सम्बन्ध में।
6. मौ0 नदीम पुत्र मौ0 आशिफ का पत्र दिनांक 25.02.2025 प्राप्ती दिनांक 03.02.2025

महोदय्

उपरोक्त विषयक के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि डी.एफ.सी.सी.आई.एल परियोजना से प्रभावित कृषक द्वारा पुर्नवासन/पुर्नव्यवस्थापन प्रतिकर की मांग करते हुये एक सिविल मिस रिट पिटीशन संख्या-31679/2024 नदीम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व 02 अन्य माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित की गयी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा आदेश दिनांक 27.09.2024 में रेल संशोधन अधिनियम 2008 की धारा-20(ण) व नये भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 31 के प्राविधानों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी को उक्त मामले का 12 सप्ताह के अन्दर निस्तारण करने का आदेश दिया गया है।

उपरोक्त विषयक पुर्नवासन/पुर्नव्यवस्थापन के सम्बन्ध मे सन्दर्भित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें रेल मंत्रालय/रेलवे बोर्ड की ओर से डी.एफ.सी.सी.आई.एल. परियोजना के लिये अर्जित की गयी भूमि से प्रभावित भू-स्वामियों को आर०एण्ड आंर० की धनराशि दिये जाने के लिये निर्देश प्राप्त हुए, जो कि निम्नवत हैः-

1. यह कि वादी के खसरा संख्या 372 से क्षे0 0.1880हे0, स्थित ग्राम नूरपुर बैरून हद्द जिला सहारनपुर भूमि का अधिग्रहण डी.एफ.सी.सी.आई.एल परियोजना के लिये किया गया है जिसके सम्बन्ध में रेल संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 20ए का प्रकाशन दिनांक 09.09.2009 व 20ई का प्रकाशन 21.05.2010 को दो दैनिक समाचार पत्रों में कराया गया था उस समय खतौनी में खसरा संख्या 372 के स्वामित्व के रूप में भूप सिंह पुत्र अतर सिंह का नाम दर्ज था।
2. यह कि मौ0 नदीम द्वारा उक्त भूमि को धारा 20ई के प्रकाशन दिनांक 21.05.2010 के पश्चात दिनांक 19.11.2010 को क्रय किया गया था।

3. यह कि सक्षम प्राधिकारी विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0स0)/ अपर-जिलाधिकारी, सहारनपुर द्वारा अभिनिर्णय दिनांक 08.04.2011 को पारित किया।
4. यह कि वादी को अर्जित भूमि खसरा संख्या 372 के अधिग्रहण का प्रतिकर रू 5752800/- का भुगतान किया जा चुका है।
5. यह कि मौ0 नदीम द्वारा भूमि का क्रय धारा 20ई के प्रकाशन के पश्चात किया गया है इसलिये मौ0 नदीम डी.एफ.सी.सी.आई.एल की मौलिक पत्रता सारणी आर0ए0ए0 एण्ड एन0आर0पी0 2007 के अनुसार लीगल टाईटल होल्डर नही है। अतः मौ0 नदीम पुत्र आशिफ को पुर्नवासन व पुनर्व्यवस्थापन के तहत लाभ दिये जाना आपेक्षित नही है।
6. यह कि वादी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में नये भू-अर्जन अधिनियम 2013 (आर0एफ0सी0टी0एल0ए0आर0आर0-2013) के अन्तर्गत पुर्नवासन व पुनर्व्यवस्थापन के तहत लाभ दिये जाने की मांग की गई है जबकि वादी की भूमि का अधिग्रहण उक्त अधिनियम के लागू होने से पूर्व में ही किया जा चुका है।
7. यह कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या-31679/2024 द्वारा दिनांक 27.09.2024 के आदेश के अनुसार वादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत करने की दिनांक से 12 सप्ताह के अन्दर प्रतिवादी संख्या-03 (सक्षम प्राधिकारी विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0स0)/ अपर जिलाधिकारी, सहारनपुर) को मामले का निस्तारण करने हेतु निर्देश दिया गया है, जो कि वर्तमान में लम्बित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि सन्दर्भित पत्रांक-5 में दिये गये दिशा-निर्देशो के अनुपालन में अपने स्तर से आवश्यक जांचोपरान्त कार्यवाही करने का कष्ट करें। ताकि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये आदेश का पालन किया जा सके।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार।

10/3/2025

उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/इंजी,
डी.एफ.सी.सी.आई.एल/मेरठ।

प्रतिलिपिः-1. मुख्य महाप्रबन्धक/मेरठ, को सूचनार्थ प्रेषित।
2. उप परियोजना प्रबन्धक/सिविल/मेरठ, को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।
3. मौ0 नदीम पुत्र मौ0 आशिफ को सूचनार्थ प्रेषित।

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1324] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 25, 2009/भाद्र 3, 1931

No. 1324] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 25, 2009/BHADRA 3, 1931

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2009

का.आ. 2168(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में विशेष रेल परियोजना, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, सम्मिलित संगठन, सहारनपुर कलक्टरी आफिस, कोर्ट रोड, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित होंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को वैयक्तिक रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले के देवबन्द तालुक में विशेष रेल परियोजना ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के लिए आने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या	हैक्टयर में विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	जालखेडी		
		405	0.0280
		403	0.0016
		404	0.0288
		477	0.0016
		478	0.0036
		488	0.0064
		489	0.0052
		490	0.0040
		1	0.0076
		2	0.0028
		3	0.0012
		6	0.0016
		7	0.0032
		8	0.0120
		9	0.0048
		10	0.0160
		11	0.0160
		12	0.0024
		13	0.0064
		14	0.0352
		57	0.1144
		58	0.0544
		60	0.0176
		61	0.0112
		62	0.0080
		63	0.0032
		64	0.0432
		67	0.0384
		68	0.0168

		75	0.0120
		76	0.0320
		77	0.0384
		78	0.0240
		79	0.0160
		457	0.0396
		460	0.0288
		459	0.0224
		462	0.0384
		473	0.0384
		475	0.0640
		407	0.0320
2.	धलौली		
		17	0.0336
		16	0.0024
3.	निहालखेडी		
		57	0.0784
		119	0.2320
4.	गढमलपुर माजरा रणखंडी		
		60	0.0768
		84	0.0800
5.	गुनारसा		
		1468	0.0192
		1470	0.0240
		1471	0.0740
		1472	0.0384
		1473	0.0016
6.	विशनपुर माजरा गुनारसी		
		119	0.0046
		120	0.0036
		121	0.0240
		122	0.0048
		123	0.0040
		124	0.0120
		125	0.0120

		126	0.0128
		127	0.0032
		128	0.0016
		129	0.0560
		137	0.0660
7.	अकबरपुर माजरा गुनारसी		
		1	0.0032
		6	0.0016
		7	0.0008
		8	0.0048
		29	0.1320
		30	0.0648
		31	0.0032
		32	0.0016
		50	0.0030
		72	0.0640
8.	गुनारसी		
		330	0.0208
		331	0.0128
9.	शहजादपुर		
		100	0.9264
		103	0.8640
		104	0.4864
		105	0.0160
		108	0.4056
		109	0.0832
10.	अमरूपुर		
		181	0.0400
		169	0.0720
		164	0.0080
		180	0.0936
11.	नूरपुर बैरून		
		175	0.0024
		176	0.0028
		178	0.0068
		179	0.0140
		180	0.0288

		181	0.0160
		182	0.0072
		188	0.0896
		189	0.0112
		190	0.0160
		202	0.0080
		203	0.0024
		204	0.2528
		206	0.0816
		207	0.0280
		208	0.1216
		213	0.0024
		214	0.0048
		220	0.1800
		221	0.0016
		222	0.0080
		224	0.0384
		7	0.1200
		8	0.0680
		9	0.0080
		6	0.0032
		5	0.1160
		3	0.0040
		2	0.0720
		227	0.0032
		226	0.0512
		228	0.0128
		230	0.2844
		231	0.0144
		243	0.1360
		244	0.0780
		257	0.1216
		255	0.0192
		263	0.0520
		264	0.4136
		265	0.0224
		366	0.0032

		365	0.0256
		371	0.0128
		372	0.3184
		373	0.1040
		245	0.0112
12.	देवबन्द कस्बा		
		200	0.0600
		201	0.0864
		203	0.0080
		205	0.0960
		207	0.0832
		208	0.0384
		209	0.0240
		210	0.0288
		602	0.0864
		601	0.0096
		576	0.0240
		571	0.0540
		499	0.1216
		500	0.0064
		497	0.0240
		496	0.0336
		495	0.0048
		482	0.0120
		481	0.0064
		476	0.0256
		475	0.0480
		472	0.0168
		130	0.0924
		134	0.0032
		135	0.0080
		137	0.0144
		138	0.0128
		142	0.0696
		144	0.1000
		145	0.0120
		147	0.0160

		148	0.0192
		168	0.0072
		171	0.0544
		182	0.0480
		183	0.2240
		54	0.1120
		53	0.0640
		55	0.0960
		61	0.0240
		62	0.0304
		63	0.0192
		64	0.0144
		65	0.0224
		105	0.1100
		132	0.0960
		133	0.1136
13.	मेघराजपुर		
		1	0.0320
		2	0.0816
		3	0.0624
		4	0.0520
		5	0.0320
		6	0.0680
		7	0.0360
		8	0.0880
		23	0.0040
		24	0.1484
		25	0.0576
		33	0.1512
		35	0.0100
		36	0.0016
		37	0.0672
		38	0.0300
		39	0.0960
14.	साखन खुर्द		
		539	0.1344
		544	0.0512

		548	0.2160
		547	0.0864
		549	0.1080
		550	0.0100
15.	साखन कलां		
		1074	1.5536
		1446	0.0432
		1449	0.0624
		1451	0.1752
		1452	0.1008
		1455	0.0192
		1454	0.1440
		1463	0.0576
		1535	0.1738
		1534	0.1088
		1533	0.0320
		1532	0.1236
		1527	0.1400
		1526	0.0032
		1512	0.0360
		1511	0.0528
		1510	0.0960
		1509	0.0464
		1508	0.0560
		1507	0.0448
		1506	0.0576
		1500	0.2280
		1501	0.0480
		1502	0.0064
		611	0.0160
		610	0.1120
		609	0.0896
		601	0.2952
		600	0.0096
		597	0.1200
		592	0.0072
		591	0.0720

		590	0.0048
		589	0.0960
		588	0.0384
		587	0.0448
		586	0.0384
		573	0.0320
		574	0.0256
		575	0.0640
		580	0.0448
		581	0.0336
		582	0.0120
		583	0.0640
		584	0.0528
16.	शेखूपुर		
		27	0.0080
		60	0.0120
		61	0.0032
		62	0.0052
		63	0.0060
		64	0.0072
		65	0.0096
		66	0.0144
		67	0.1776
		71	0.5096
		195	0.0240
		193	1.3904
		192	0.2512
		191	0.1640
		190	0.0032
		196	0.3520
17.	मनोहरपुर		
		153	0.0240
		154	0.0160

[फा. सं. 2009/एलएम(एल)/12/6-ईस्टर्न कॉरीडोर]

जगदीप राय, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुख-सुविधाएं-1)

3075 GI/09-3

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2009

S.O. 2168(E).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the Schedule annexed hereto, is required for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Projects, Eastern Dedicated Freight Corridor, in the District of Saharanpur in the State of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Special Land Acquisition Officer, Combined Organization, Saharanpur, Collectorate Office, Court Road, Saharanpur, Uttar Pradesh in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available, and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

प्रपत्र–1

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत आवेदन पत्र

सेवा मे ,

श्रीमान मुख्य महाप्रबन्धक

डेडीकेटेड फ्रेन्ट कोरीडोर कॉआपरेशन आफ इडिया लि.

3rd floor Shiv Balaji Commuecial Complex

Ved Vyaspuri Bypass NH 58 Meerut 250002

1–	आवेदक का नाम	मौहम्मद नदीम पुत्र मोहम्मद आसिफ
2–	पता पूरा पता	रेलवे रोड सुभाष चौक कस्बा देवबन्द जिला सहारनपुर।
3–	मोबाईल नम्बर	8923288777
4–	आवेदन दिनांक	04–07–2022
5–	कार्यालय का नाम	श्रीमान मुख्य महाप्रबन्धक डेडीकेटेड फ्रेन्ट कोरीडोर कॉआपरेशन आफ इडिया लि. 3rd floor Shiv Balaji Commuecial Complex Ved Vyaspuri Bypass NH 58 Meerut 250002

6– चाही गयी सूचना –

1– प्रार्थी ने आपको एक प्रार्थना पत्र दिनांक 5–12–2024 को हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने की बाबत दिया था लेकिन अब तक इस बाबत कोई कार्यवाही क्यों नही की गयी , इस प्रश्न का उत्तर लिखित में दिया जाना जरूरी हे।

2– यह कि 3 मार्च 2011 को विशेष परियोजना ईकाई डेडिकेटिड फ्रेन्ट कोरीडोर गजट (भारत सरकार राजपत्र) 24/अगस्त –2009 प्रकाशित दिनांक4–11–2009 रेलवे अधिनियम 2008 की धारा 20सी(3) की प्रमाणित प्रति चांहिए।

अतः आपसे से प्रार्थना है कि उपरोक्त कानून के तहत उपरोक्त प्रश्न की जानकारी लिखित में शीघ्र अतिशीघ्र प्रदान कराने की कृपा करें। अति कृपा होगी।

नोट–1– प्रार्थना पत्र दिनांक 5–12–2024 एंव हाई कोर्ट के आदेश एंव रिट की काफी संलग्न है ।

7– फीस का विवरण	10 /- Rs POTAL ORDER NO 65F 073954

दिनांक 22–2–2025

प्रेषक –

मौ.नदीम पुत्र मो. आसिफ निवासी रेलवे रोड सुभाष चौक देंवबन्द जिला सहारनपुर